न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 192/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 417/2026]

[CNR No. UPFZ010011482026]

चिन्तामणि पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय, निवासी ग्राम ऐमी आलापुर, थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 192/2026, मुकदमा अपराध संख्या 56/2026, अन्तर्गत धारा 105 भा०न्या०सं०, थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या के मुकदमें में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे गलत तथ्यों के आधार पर रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह 66 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 23.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका दर्शित की गयी है। केस डायरी पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य से कथित अपराध में उसकी संलिप्तता परिलक्षित होती है।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.16 17:15:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार निषाद की माता कमला लगभग 10.30 बजे घर से अपने खेत को देखने गयी थी। काफी देर तक घर न आने पर खोजबीन की गयी। उसके बाद पुष्पेन्द्र व आरती ने लगभग 3.00 बजे दोपहर में खेत जाकर देखा तो गांव के चिन्तामणि पाण्डेय के खेत में लगे कटीले तार में बिजली के करन्ट द्वारा करन्ट लगने से बुरी तरह झुलस गयी और मौके पर मौत हो गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका होना दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई अवैध सामग्री आदि बरामद होना अभिकथित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 192/2026, मुकदमा अपराध संख्या 56/2026, अन्तर्गत धारा 105 भा०न्या०सं०, थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 16.03.2026